

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पाला निवा जेठ-२ मुकाम ढाँक
 बराम विशम प्रखार मोना आदि बराम विशम प्रखार मोना आदि
 मुकामा ३०५५-घार-५५ नं. ६० सन् ५.८.२०१९

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल जय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
५.८/१९	<p>पत्रावली जेश हुई। प्राधन एक पूर्ण जेश लीक एक एवं समाप्त अदाएह हो दर्ज रिजिस्ट्र किमा पुरके। तहकी अपुर्णी की लामे हया प्राधन एक की जेश उपर्युक्त अधिकारी निवाह जो जेशित कर रिजिस्ट्र तहब कर पत्रावली दिनांक २-९-२०१९ को जेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर ढाँक</p>	<p>713-720 118</p>
२९/१९	<p>पत्रावली जेश हुई। जिला अभिभावक जेश जेश दाश राजस्व अदाएह जेश - मासिक करि सम्पत्ति रखा। रिजिस्ट्र प्राप्त नही हुई हो। रिजिस्ट्र तहब कर पत्रावली दिनांक २६-९-२०१९ को जेश हो। P.O. साधब अपुर्णी कर पुरके हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर ढाँक</p>	
२६/१९	<p>अभिभावक प्राणी उपर। अपुर्णीगण की जेश जेश को तहब कर जेशी ने पूर्ण जेश जेश तहब जेश किमा जेश शामिल जेश हो। रिजिस्ट्र प्राप्त नही हुई हो। रिजिस्ट्र तहब कर पत्रावली दिनांक १०-१०-२०१९ को जेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर ढाँक</p>	
१०/१९	<p>अभिभावक प्राणी उपर। रिजिस्ट्र प्राप्त नही हुई हो। रिजिस्ट्र तहब कर पत्रावली दिनांक २५-१०-२०१९ को जेश हो। P.O. सा. राजमार्ग जेश जेश जेश पुरके हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर ढाँक</p>	



16 ³/₂₀₂₀

जिला अधिष्ठाता के संघ बैंक द्वारा वरिष्ठ ज.प.
स्तर के निवृत्त के कारण - चायालयों में - चायिड
कार्य समाप्त किया गया। बाक़े एक पत्रावली
दिनांक 30-3-2020 को पेश हो। P.O. स्तरक अन्य
सामग्री के वयस्त हैं।

27 ⁸/₂₀₂₀

दिनांक 30-3-2020 को कोविड-19 वायरस संक्रमण
के कारण लोक डाउन होने से आज की लक्ष्य
पैत्री दिने जाने पर पत्रावली आज पेश हुई।
अधिष्ठाता अपूर्वी द्वारा एक प्रस्ताव - एक संघ
सुनवाई करते हैं प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि प्रायोजन ने प्रायना - एक स्थानान्तरण की
J.P. बैंक 5.0.0. पर मिहिनागर का अक्षेप
लगाते हुए प्रकरण में अग्रय प्रस्ताव व अन्य
बनाम मिहिनागर व अन्य अपील सं 15/17 के
निर्वाह 5.0.0 - चायालय के अन्त 5.0.0 के
- चायालय में स्थानान्तरण करते हैं निवेदन
किया था। वरिष्ठ के श्री J.P. बैंक पीठासीन
अधीक्षी 5.0.0. निर्वाह का स्थानान्तरण हो
गया है तथा उनके स्थान पर रुकी अन्तर
5.0.0 निर्वाह ने पदमात्र संभाल लिया
है। अतः प्रकरण का निरस्तण करने के आदेश
प्रदान करें। उनके पत्रावली का अध्ययन
किया - इसके तत्कालीन पीठासीन अधिष्ठाता
निर्वाह का स्थानान्तरण हो चुका है प्रकरण
को अपने पल्ले जाने का कोई औचित्य
नहीं होने से प्रायना - एक स्थानान्तरण
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैल
सुझाए होकर बाद तक्रीत जाना दाखिल
कराए हो।

जिला कलेक्टर
बैंक